जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषयः—जोन—05 के क्षेत्राधिकार में भूखण्ड संख्या 50ए, प्रेम नगर प्रथम क्षेत्रफल 25 बाई 75 फीट में बेसमेन्ट+ग्राउण्ड+तृतीय मंजिल (05 मंजिला) का निर्माण को दिनांकः 22.01.2023 को सीलमुक्त किये जाने की सूचना के संबंध में।

प्रसंगः—आयुक्त, जविप्रा, जयपुर के आदेश दिनांकः 16.01.2023 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक संदर्भ में लेख हैं कि जोन—05 के क्षेत्राधिकार में जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के गैर अनुमोदित योजना के भूखण्ड संख्या 50ए, प्रेम नगर प्रथम क्षेत्रफल 25 बाई 75 फीट में बेसमेन्ट+ग्राउण्ड+तृतीय (05 मंजिला) का निर्माण जीरो सेटबेक पर किये जाने पर दिनांकः 13.06.2021 को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के नोटिस जारी किये गये; उसके उपरान्त भी निरन्तर निर्माण कार्य जारी रखने पर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर जविप्रा संशोधित अधिनियम 2010 के तहत दिनांकः 03.08.2021 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांकः 04.08.2021 को जोन टीम की निशादेही पर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

भूखण्ड स्वामी द्वारा भूखण्ड पर निर्मित बिल्डिंग के जविप्रा से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाये जाकर तथा स्वयं के स्तर पर अवैध निर्माण हटाने के शपथ—पत्र के आधार पर श्रीमान् आयुक्त, जविप्रा, जयपुर के आदेशानुसार दिनांकः 22.01.2023 को उक्त भूखण्ड को 01 माह के लिये सीलमुक्त कर भूस्वामी को कब्जा सम्भलाया गया हैं। बिल्डिंग को सीलमुक्त की जाने की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचना प्रेषित हैं।

संलग्नः—फर्दसील की फोटाप्रति

6/11/23

(धर्मेन्द्र कुमार यादव)
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन
जविप्रा, जयपुर।

सिस्टम एनालिस्ट,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांकः—जविप्रा/मुनिप्र/2023/डी— 3948 दिनांक 6.11.23

प्रतिलिपि अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है :—

1. आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. प्रवर्तन अधिकारी जोन—05 को रक्षित पत्रावली हेतु।

(धर्मेन्द्र कुमार यादव)
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-2570640} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {CCEJDA31@gmail.com}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

फर्द सीलमुक्त

भूखण्ड सं. 50ए, प्रेम नगर प्रथम,

भूस्वामी श्रीमती कमलेश जांगीड

स्थान :– प्रेम नगर

दिनांक :– 22-01-23

रूबरू :–

1. श्री किशन लाल S/o श्री मन्नाराम गुर्जर R/o गांव-धावड़ुरा, अमरगढ़ जिला जयपुर हाल-चालक
2. श्री बाबूलाल S/o श्री लाल्लू लाल R/o [illegible] जयपुर हाल-[illegible] JPR

उपरोक्त साक्षीगणों के समक्ष व मोजूदगी में फर्द सीलमुक्त आप द्वारा जविप्रा की बिना स्वीकृति एवं अनुमति के गैर अनुमोदित योजना के भूखण्ड सं. 50, प्रेम नगर प्रथम जिसका क्षेत्रफल लगभग 25 बाई 75 फीट में बैसमेंन्ट+ग्राउण्ड+तृतीय मंजिल (5 मंजिला) का निर्माण जीरो सैटबैक पर किया गया है। जिसके संबंध में आपको जविप्रा अधिनियम 1982 के तहत दिनांक 13.06.2021 को धारा 32, 33 का नोटिस जारी किया गया। उसके उपरान्त निरन्तर निर्माण कार्य जारी करने पर सक्षत स्तर से अनुमति प्राप्त कर जविप्रा संशोधित अधिनियम 2010 के तहत दिनांक 03.08.2021 को धारा 34 (क) का नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 04.08.2021 को जोन टीम की निशादेही पर पुख्ता सिलिंग की कार्यवाही की गई।

उसके उपरान्त आप द्वारा भूखण्ड पर निर्मित बिल्डिंग के जविप्रा द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदित करवाये जाकर तथा स्वयं के स्तर पर अवैध निर्माण हटाने के शपथ पत्र के आधार पर श्रीमान आयुक्त महोदय के आदेशानुसार आज दिनांक 22-01-23 को उपरोक्त गवाहान के समक्ष भूखण्ड को 01 माह के लिए सील मुक्त करने की कार्यवाही की गई एवं कब्जा भूस्वामी को सम्भलाया गया। आप द्वारा यदि नियत अवधि में अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही नही की गई, तो पुनः अग्रिम विधिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत स्वयं की होगी।

अतः फर्द सील मुक्त नियमानुसार तैयार कर उपरोक्त गवाहान को पढकर सुनाया जाकर सुन, समझ हस्ताक्षर करवाये गये एवं कब्जा भूस्वामी को सम्भलाया गया।

बाबूलाल

(मोहन लाल अधिकारी) 22/01/2023

किशन

22/01/23

प्रवर्तन अधिकारी जोन–5

जविप्रा जयपुर